न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/58/2025	2025/250	26–06–2025	29–07–2025

01– भगवत स्वरूप शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी मुड़ीया तहसील मालाखेड़ा हाल निवासी 290/40 केसरी कॉलोनी बालूपुरा रोड आदर्श नगर अजमेर।

–अपीलान्ट

बनाम

01– तहसीलदार मालाखेड़ा

–रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल नंबर 45 वाके ग्राम मुड़ीया निर्णय दिनांक 28.12.2001 उप तहसीलदार मालाखेड़ा

उपस्थितः–

01–श्री सतीश चन्द जैन –वकील अपीलान्ट

02–श्री दीपक मीणा –वकील पेरोकार सरकार

–:निर्णय:–

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध उप तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 28.12.2001 नामन्तकरण संख्या 45 स्वीकार किया गया से व्यतिथ होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट के पिता रमेश पुत्र श्री किशोरी जाति ब्राह्मण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 230,231,232,233,235 कुल किता 05 रकबा 1.81 हैक्टर वाके ग्राम मुड़ीया तहसील मालाखेड़ा में 1/6 भाग था। श्री रमेश चन्द का स्वर्गवास सन् 2001 में हो गया। मृतक श्री रमेश चन्द की विरासत इंतकाल पटवारी हल्का जमालपुर ने दिनांक 26.12.02001 को उपस्थित लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मृतक के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया और उक्त तहसीलदार मालाखेड़ा ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में बिना वारिसान के नाम की जांच किये बिना इंताकर तस्दीक कर दिया गया। अपीलान्ट का नाम भगवत स्वरूप की जगह पटवारी हल्का ने भारत भूषण दर्ज कर दिया और इसी आधार पर इंतकाल तस्दीक हो गया। इंतकाल तस्दीक करते समय मृतक के वारिसान को कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही सही नाम की कोई जानकारी की गलत नाम अपीलान्ट का दर्ज हो जाने की अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी। अब अपीलान्ट को इस बाबत जानकारी हुई जब अपीलान्ट उक्त आराजी बाबत क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 22.05.2025 को पटवारी हल्का के पास गया तो पता चला कि जमाबंदी में नाम गलत दर्ज हो गया। इस बाबत पटवारी हल्का से जानकारी होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 23.05.2025 को इंतकाल की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 02.06.2025 को प्राप्त हुई। विवादित इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.05.2025 से अपील अन्दर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अवधि पेश की जा रही है। देरी को कन्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत अलग से पेश किया जा रहा है। अपीलान्ट का नाम विरासत इंतकाल में गलत दर्ज हो जाने से अपीलांट अपनी आराजी का उपभोग इस्तेमाल समुचित रूप से नहीं कर पा रहा है अपीलांट का नाम गलत दर्ज हो जाने से हकूक खातेदारी पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। मृतक श्री रमेश चन्द के कुल तीन पुत्र है जिनके नाम भगवत स्वरूप, अशोक कुमार, शिव कुमार है इसके अलावा अन्य कोई पुत्र नहीं है भारत भूषण नाम को कोई पुत्र मृतक श्री रमेश चंद के नहीं था और ना है। अपीलान्ट का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड में भगवत स्वरूप दर्ज है इसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिये था।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 45 वाके ग्राम मुड़ीया को अपास्थ फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम भारत भूषण के स्थान पर भगवत स्वरूप शर्मा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

विधिक सलाहकार पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण जांच कर उक्त विवादित नामान्तकरण दस्दीक किया गया था। अपीलान्ट ने करीब 24 वर्ष विलंब से अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में रही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.12.2001 नामान्तकरण संख्या 45 को यथावत रखा जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2001 के विरूद्ध दिनांक 23.06.2025 को पेश की गई है। अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी 22.05.2025 को पटवारी हल्का के द्वारा बताये जाने पर हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रमेश चन्द के वारिसान के विधिवत जांच नहीं की जाकर एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर विवादित विरासत नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 28.12.2001 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में तस्दीक कर दिया गया जिसमें अपीलान्ट का सही नाम भगवंत स्वरूप शर्मा के स्थान पर भारत भूषण दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का सही नाम भगवत स्वरूप शर्मा है। जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट का नाम भगवत स्वरूप पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा दर्ज है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि होना पाया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मालाखेड़ा हाल तहसील मालाखेड़ा के नामांतकरण संख्या 45 वाके ग्राम मुड़ीया तहसील मालाखेड़ा अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की विधिक जांच कर नियमानुसार नामांतकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

जिला कलक्टर
(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अलवर (राज०)
जिला कलक्टर अलवर